

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

श्रीपीसिंह बनाम मंजरी देवी वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 05 / सन् 2019

ख न	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
26/19	<p>वकील वादी उपस्थित।</p> <p>वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 92 A RT Act के तहत पेश किया हैं। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलव किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 26-2-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">SDO</p> <p>वकील मज वादीगण द्वारा ग्राह विद्रोह करने हेतु पत्रावली तलबी का प्रप पत्र पेश करते हैं पत्रावली माफ पेश हुई।</p> <p>वकील मज वादीगण के प्रप पत्र के किण्ड कि उक्त उक्त के पक्षकारण के मध्य आधारी व लोक अदालत की भावना से राजीनाम रुक लिफ है। इस कारण पक्षकारण मज लम्बित ग्राह व प्रप पत्र के कोई कार्यवाही नहीं जाहते हैं। इस कारण उक्त पत्रावली माफ ही तलव का जरिये विद्रोह खारिज किण्ड जाहते हैं। प्रप पत्र जा. सि. ध।</p> <p>अतः वकील मज वादीगण द्वारा प्रप पत्र ग्राह विद्रोह खारिज का पेश करते हैं वादीगण का ग्राह विद्रोह खारिज किण्ड जाह है। पत्रावली के तहत शुजात होत नबत कि का है। ग्राह नमकील जासा दारिजल देवता लेखल अख्त पत्रावली</p> <p style="text-align: center;">SDO.</p>	<p>12 8.1.19</p> <p style="text-align: center;">30/1/19</p> <p style="text-align: center;">26/1/19</p>